(99)

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

निगरानी प्र.क. ...../2014–15

निo. 329 - II - 15

रणवीर सिंह आ. श्री गोरेलाल दांगी
निवासी– ग्राम रजाखेड़ी, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

राजू आ. श्री मेहरबान सिंह दांगी,
निवासी– ग्राम रतनबर्री, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.) ..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा अपील प्रकरण क्र. 141/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2014 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरोंज द्वारा अपील प्रकरण क्र. 68/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2010 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि आवेदक द्वारा ग्राम रतनबर्री, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्र. 225 रकबा 0.506 हेक्टेयर पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2009 के द्वारा अनावेदक से क्रय की गई है। आवेदक द्वारा उक्त पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2009 के आधार पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि पर आवेदक का नामांतरण करने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। नामांतरण प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं अनावेदक को विधिवत नोटिस जारी किया गया। नियत समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अनावेदक द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि उसके द्वारा विक्रय नही की गयी थी बल्कि बंधक की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में उभय पक्ष की साक्ष्य लिपिबद्व करायी गयी। आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं के एवं विक्रय पत्र के साक्षी शैतान सिंह एवं विक्रय पत्र के प्रारूपकर्ता अभिभाषक के कथन कराये गये तथा अपनी साक्ष्य से विवादित भूमि विक्रय किये जाने संबंधी स्पष्ट कथन किये गये तथा प्रतिपरीक्षण में अनावेदक के पक्ष में कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं आई। अनावेदक द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं के कथन कराये गये। अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, मण्डल–2, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा द्वारा उभय पक्ष की साक्ष्य एवं दस्तावेजों के

...2..

XXXIX(a)BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक R- 329–दो/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-6 16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 141/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24–11–14 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक रणवीर सिंह द्वारा ग्राम रतनबर्री तहसील सिरोज जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे नं. 225 रकबा 0.506 हैक्टर पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 4–9–2009 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में पेश किया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा इश्तहार जारी किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई कि उक्त भूमि उसके द्वारा विक्रय न की जाकर बंधक रखी गई है तथा बंधक रखे जाने के संबंध में एक स्टाम्प पर बंधक विलेख भी पेश किया । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए अनावेदक की आपत्ति निरस्त कर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की । अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 27–9–10 द्वारा अपील स्वीकार की तथा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकिया एवं रिकार्ड पर आए तथ्यों के विपरीत है । उन्होंने रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना नहीं की है और ना ही इस बात पर विचार किया है कि विचारण न्यायालय ने पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किया था । इस संबंध में उनके द्वारा 1992 आर.एन. 277 का हवाला दिया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि आवेदक द्वारा भ्ज्ञूमि 1,16,400/– में क्रय की है जबकि कथित दस्तावेज 90000/– रूपये का होकर 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया है उसके आधार पर भूमि किस प्रकार वापिस हो सकती है । यह भी कहा गया कि पंजीकृत विक्रयपत्र की वैधता की जांच का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यदि अनावेदक पीड़ित है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उन्होंने भूमि बंधक रखी थी और रूपयों की सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक ने विक्रयपत्र कराया है साथ में एक विलेख लिखा है जिसमें 2 वर्ष में राशि रूपये 90000/– वापिस करने पर उक्त भूमि अनावेदक क्रय करने का अधिकारी होगा । उन्होंने दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R- 329–दो / 15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R 2/3	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में जो पंजीकृत विक्रयपत्र है वह दिनांक 4–9–2009 का है और उसी दिनांक को एक अन्य दस्तावेज उभयपक्ष के मध्य निष्पादित हुआ है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि तीन वर्ष के अंदर वापिस किए जाने का लेख है परंतु तहसीलदार द्वारा आपत्ति किए जाने के उपरांत भी इस ओर ध्यान न देकर विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण का आदेश दिया है, जो प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायसंगत नहीं है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । (हस्ताक्षर) सदस्य	